चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(6).

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा घर बुलाकर प्रेमी की हत्या के मामले में आरोपी पति -पत्नी को आजीवन कारावास व 16000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी कोतवाली कर्वी एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 20.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 629/2019 धारा 302/201/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.उदल शर्मा (महापात्र) पुत्र गया प्रसाद व अभियुक्ता 2.रीता देवी उर्फ ननकई पत्नी उदल शर्मा(महापात्र) निवासीगण ग्राम कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 8000/-8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 04.09.2019 को वादिया श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0 रामचरन सैनी निवासी लखमी थोक थाना बिसण्डा जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि वादिया का पुत्र धीरज सैनी उर्फ चुन्नू उम्र 20 वर्ष को हत्या करने के इरादे से अपहरण कर लेना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 629/2019 धारा 364 भादवि0 बनाम 1.उदल शर्मा पुत्र गया प्रसाद शर्मा 2.रीता देवी उर्फ ननकई पत्नी उदल शर्मा निवासीगण ग्राम कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना देवागंना घाटी से पुलिस ने एक शव बरामद किया जिसकी पहचान परिजनों ने धीरज सैनी निवासी बांदा के रूप में की थी। विवेचक ने विवेचना व साक्ष्य संकलन से मामले का खुलासा करते हुए आरोपी 1.उदल शर्मा (महापात्र) पुत्र गया प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को दिनांक 05.10.2019 को गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपिता 2.रीता देवी उर्फ ननकई पत्नी उदल शर्मा(महापात्र) निवासी ग्राम कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को दिनांक 06.10.2019 को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपर्युक्त से धारा 364 भादवि0 का लोप करते हुए मुकदमा उपर्युक्त में धारा 302,201/34 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी थी। विवेचक द्वारा आरोपियों के विरूद्ध क्रमशः दिनाँक 26.12.2019 व 23.07.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा घर में घुसकर नाबालिक बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 20.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 388/2018 धारा 452,352,354क,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त खूंटी पुत्र शंकर केवट को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 3500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनांक 13.06.2018 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि अभियुक्त खूंटी पुत्र शंकर केवट उपरोक्त द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के साथ घर में घुसकर जबरजस्ती छेड़खानी करना विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में 388/2018 धारा 452,352,354क,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट बनाम खूंटी पुत्र शंकर केवट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी तथा आरोपी को दिनाँक 11.10.2018 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 18.10.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
चौकी प्रभारी सीतापुर ने बेलेरो चोरी के अभियुक्त को गिरफ्तार किया
2800/- रूपये बरामद।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर व उनकी टीम द्वारा बेलेरो चोरी के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

धनराज सिंह पटेल पुत्र दशरथ सिंह निवासी ओबरी मोड़ थाना बरगढ़ हाल पता ग्राम गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 49 वर्ष

<u>बरामदगी-</u>

2800/- रूपये
एक अदद मोबाइल रेडमी

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.08.2026 को वादी नन्दराम जयसवाल पुत्र रामस्वरूप जयसवाल निवासी ग्राम कैरोखर, थाना ककवई, जिला झाँसी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दिया गया कि अपने दोस्तों के साथ बोलेरो नम्बर UP 93 AH 5441 से समय करीब 03:00 बजे सुबह पोद्दार इण्टर कॉलेज सीतापुर कर्वी जनपद चित्रकूट पार्किंग में खड़ी करके कामतानाथ जी की परिक्रमा करने चला गया था। समय करीब 08:30 बजे सुबह परिक्रमा से वापस आने गाड़ी बोलेरो उपरोक्त पार्किंग में नहीं थी। जिसका मूल्य लगभग 2लाख के आसपास थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 494/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा चौकी प्रभारी सीतापुर को चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज दिनाँक 20.08.2026 को चौकी प्रभारी सीतापुर एवं उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि पोद्दार इण्टर कॉलेज सीतापुर कर्वी जनपद चित्रकूट पार्किंग में खड़ी बेलेरो गाड़ी की चोरी करने वाला एक चोर बांदा रोड नो-इन्ट्री के पहले खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके तुलसी महाविद्यालय के पास पहुंचकर खड़े व्यक्ति के ओर जाने लगे तो खड़ा व्यक्ति भागने लगा। जिसे मौके पर ही दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम धनराज सिंह पटेल पुत्र दशरथ सिंह निवासी ओबरी मोड़ थाना बरगढ़ हाल पता ग्राम गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 49 वर्ष बताया तथा यह भी बताया कि धनराज सिंह व अंकित सिंह दोनों ने मिलकर सीतापुर स्कूल गये जहाँ पर पार्किंग में कई गाड़ियाँ खड़ी थी जिसमें एक पुरानी बेलेरो गाड़ी UP 93 G 0143 की लॉक तोड़कर चोरी करके महोबा चले गये। अंकित सिंह ने कहा कि गाड़ी लेकर मैं फतेहपुर जा रहा हूँ। गाड़ी की बिक्री होने पर तुमकों(धनराज) को 20000/- रूपये दे दूंगा। अंकित सिंह दिनाँक 16.08.2026 को कर्वी आकर धनराज को 5000/- रूपये दिये और कहा की अभी गाड़ी की बिक्री नही हुई है। इसके बाद वह चला गया। आज अंकित सिंह से पैसे लेने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।
धनराशि बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। शेष प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे है।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2.आरक्षी रविशंकर
3.आरक्षी रविन्द्र कुमार